(स्थायी प्रमाण - पत्र) प्रवृत स. [क. 1966] (पिछड़ा वर्ग)

कार्यालय - अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

काषालय अधावका		
, यभाग डिन जिला	2117	
, AHIII 1016/11/11	7.	
क्सिक क्रमांक3.5/14		
ाक्यण फ्रमांक० 🖟 (- २)		
म्माण पत्र क्र	3	KLY!
		2 M

PRIYANKA SHARAN 30/10/2011

जाति प्रमाण - पञ

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती /कुमारी
विता /पति का नाम ि रिप्ति रिप्ति का नाम रिप्ति रिप्ति रिप्ति रिप्ति का नाम रिप्ति रि
जिला - प्रिंग संभाग मध्य प्रदेश के निवासी है
जोरी.रि.रि.रि.रि.रि.रि.रि.रि.रि.रि.रि.रि.रि.
एनं पिछद्भावर्य कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र.एफ.8-5/पचीस/4/8/ व 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।
भी और/या जनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश फ
जिला १ माग ६ १ में निवास करता / करती है।
(1) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री 🔠 2700 🗞 🗸 🗸 🗸 🗀 हामालपर
(सम्पन्न वर्ग के व्यक्तियों वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपन्न पन
क्यांक 360/2/22/93 स्था (एस.सी.टी.) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची के कालम (3) में तथा मध्यप्रदेश शासन सामान्य
प्रशासन विभाग के झाप क्रमांक एफ.7-26/93/1/आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1984 के साथ संलग्न परिशिष्ट (.ई.) को अनुसूची के
कालम (3) में किया गया है।
(2) गणित किया जाता है कि आनेदक श्री/श्रीमती/कुगारी
के परिवार की कुल वार्षिक आय ग्रूपये है।
दिनांक21.8.2014

प्रमाणिकरण अधिकारों का नाम सन्देशियां का नाम (क्टब्स्ट) होड़ हार जिल्हा चड़र

(साल)

अनुभाग अधिकारी मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोध्य) A. 471.5.1966

स्थाया प्रमाण - पत्र

प्रदिशास्य — ख

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु प्रमाण-पत्र

## कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

प्रमाण-पत्र क्रमांक .7.4.5८/३-१२१/२०/६-१७ नाल्छा म नाति प्रमाण स्थायी जाति प्रमाण प्रमाण पत्र 5.2017 है प्रमाणित किया जाता है कि भी/भीमती/कुनारी पिता/प्रति का नाम निवासी ग्राम/नगर विश्वभूपूर तहसील जिला आर् संभाग जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुकोदं 341/342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ঠা) ত্র जाति / जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुकांक ..... पर अंकित है अतः श्री/श्रीमती/कुमारी वासनी पिता/प्रति का नाम 21 से 21 स्था प्रमाप् अनुंस्चित जाति/जनजाति का/की है। प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी 

दिनांक (सील)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) क्षेत्र धार जिला धार हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम..

षियंताय-1966.

(स्थापी प्रमाण - पत्र) (पिछड़ा गर्ग)

कार्यालय - अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

प्रसाक क्रमांक	
पुस्तक क्रमांक	
प्रसाक क्रमांक११११ एउ ४३१ । १०१६-१.७	•
प्रमाण पत्र क्र७,८,७,,,,	
	and the same regard
जाति प्रमाण 🖟 पत्र	The state of the s
पह प्रमाणित किया जाता है कि भी रशीमती कियार	ोर जाति व
पिता /पति का नाम ()	नु लोक सेट
पह प्रमाणित किया जाता है कि भी शिमती कुमारी त्या शिका पाप प्रदेश के निवासी है जिला संभाग प्रदेश के निवासी है	ै नय की प्राप
सभाग	मं को उक्त
जात के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में म.प्र.शासने, अहिम जीति, अनुसूचित जाति	कित दिनांव
एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र.एफ.४-5/पचीस/4/84/व 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।	. पष्ट है वि
औ और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के	ाहूत किय
जिलामें निवास करता / करती है।	
(1) यह भी प्रमाणित किया जाना है कि श्री.	
अ (सम्पन्न वर्ग के व्यक्तियों वर्गों की श्रेणी में नहीं आते है, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपन्न पत्र	
क्रमांक 360/2/22/93 स्था.(एस.सी.टी.) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची के कालम (3) में तथा मध्यप्रदेश शासन सामान्य	•.
क्रमान 300/ 2/ 22/ 93 स्पा.(५स.सा.टा.) प्रिनास 8-9-95 श्रार जात पूर्व गाम ग्रंज्य प्रतिष्ठिए ( है ) को अनसची के	· 15
प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.7-26/93/1/आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1984 के साथ संलग्न परिशिष्ट (.ई.) को अनुस्ची के	. 1/
कालम (3) में किया गया है।	elerabes in section in
(2) प्रमाणित किया जातः है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमार्र	
के परिवाह की कुल वार्षिक आप रूपवे है।	
	, ti
्रामाणिकरण अधिकारी का नाम	
पद नाम	
पद नाम	
	-
學學 사람들은 사람들이 되었다. 그리고 그는 사람들은 사람들은 사람들은 사람들이 되었다.	